उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-16/2015/2058/92-2-15-160आरईएस/2009

लखनऊ:: दिनांक:: 17 दिसम्बर,2015

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद बलरामपुर में बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं के निर्माण कार्यो हेतु आमंत्रित निविदा प्रक्रिया में बरती गयी अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-416/62-3-2010-160आरईएस/2009, दिनांक 03-02-2010 द्वारा श्री बी0एल0 रावत, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गोण्डा/बलरामपुर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता,(प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 14-05-2015 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता,(प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में श्री बी0एल0 रावत के विरूद्व अधिरोपित कोई आरोप स्थापित नही पाया गया है। अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा पाया गया है कि अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित कोई आरोप स्थापित नही होता है। अत: शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03-02-2010 द्वारा श्री बी0एल0 रावत, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गोण्डा/बलरामपुर के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

डॉ0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-16/2015/3217(1)/92-2-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री बी0एल0 रावत, तत्का0 प्रभारी अधि0अभि0, ग्रा0अभि0वि0,प्रखण्ड-गोण्डा/बलरमामपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।